

समाहरपालय, मुंगेर।

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना के पत्र सं०-40, दिनांक 19.08.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष-2014-2015 के लिए बजट शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस, उप शीर्ष-0001-चौकीदार-दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षो अन्तर्गत मुंगेर जिला में कार्यरत चौकीदार/दफादार के लिए प्राप्त आवंटन वर्तमान में निम्न प्रकार है :-

क्र०	आवंटित राशि	जिला	कार्यरत बल	01 01- वेतन	01 03- जीवन यापन भत्ता	01 04- मकान किराया भत्ता	01 06- चिकित्सा भत्ता	11 01- यात्रा व्यय	योग	13-06 वर्दी/पोशाक में	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पूर्व में	मुंगेर	239	9321000	8388900	699075	167300	2000	18578275	0	18578275
2	वर्तमान में			18642000	18642000	1398150	382400	8000	39072550	140000	39212550
3	कुल			27963000	27030900	2097225	549700	10000	57650825	140000	57790825

₹ मो०-तीन करोड़ बिरानवे लाख बारह हजार पांच सौ पचास रुपये मात्र।

- प्राप्त आवंटन को मुंगेर जिला के 6 (छः) अंचल को अंचल वार संलग्न तालिका के अनुसार उपावंटित किया गया है।
- इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष-2014-2015 में मांग सं०-22 तथा मुख्यशीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस, उप शीर्ष-0001-चौकीदार-दफादार स्थापना के विभिन्न विषय शीर्षो एवं विपत्र कोड सं०-एन 2055001100001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- उपावंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, मुंगेर से की जायेगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं० 6720, दिनांक 25.07.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए विभागीय पत्रांक 2561, दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधानित-में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।
- उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।
- उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।
- डी०सी० विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्दर समर्पित किया जाय।
- कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।
- उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार-दफादार के बकाये वेतनादि से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस आवंटित राशि से किया जाय और तत्पश्चात् अतिरिक्त राशि की मांग की जाय।
- उपावंटित राशि का व्यय विवरणी निश्चित रूप से प्रत्येक महीने के 05 तारीख तक जिला सामान्य शाखा, मुंगेर को उपलब्ध करा दी जाय, ताकि जिला स्तर से समेकित विवरणी गृह (आरक्षी) विभाग को 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जा सके।

self-
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक २.१३३/जी०, मुंगेर, दिनांक ..1.।9, 2014.

- प्रतिलिपि :-अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/बरियारपुर/धरहरा/ह० खड़गपुर/तारापुर एवं संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को विभागीय पत्र के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/ह० खड़गपुर/तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :-सरकार के प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना को उनके पत्र सं०-40, दिनांक 19.08.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :-आई०टी० प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना के भाग सं0-22 तथा मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपशीर्ष-00-लघु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस, उपशीर्ष-0001 चौकीदार/दफ्तार स्थापना तथा विपन्न कोड N2055001100001 के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का अंशवार उपवर्गन विवरणी :-

क्र.सं.	अंशवार भाग नाम	01 01- शेरग			01 02- बीजा रायग भाग			01 03- भाग निरग भाग			01 04- निरिक्त भाग			11 01- गणतंत्र							
		पूर्व नं. आवंटित	वर्तमान नं. आवंटित	शेष (03+04)	पूर्व नं. आवंटित	वर्तमान नं. आवंटित	शेष (04+07)	पूर्व नं. आवंटित	वर्तमान नं. आवंटित	शेष (04+10)	पूर्व नं. आवंटित	वर्तमान नं. आवंटित	शेष (12+13)	पूर्व नं. आवंटित	वर्तमान नं. आवंटित	शेष (15+16)	पूर्व नं. आवंटित (03+04+09+12+15)	वर्तमान नं. आवंटित (04+07+04+13+16)	शेष/शेष नं.	शेष (19+20)	शेष (19+21)
1	सर मुंर	2379000	4758000	7137000	2141100	4758000	6899100	178425	356850	535275	42700	100000	142700	0	0	0	4741225	9972850	40000	10012850	14754075
2	शिरगपुर	653000	1328000	1989000	598700	1328000	1922700	49725	99450	149175	11900	25000	35900	400	1600	2000	1321725	2778050	9000	2787050	4108775
3	धरग	936500	1872000	2808000	842400	1872000	2714400	70200	140400	210600	18800	33000	49800	400	1800	2000	1865800	3919000	15000	3934000	5799800
4	तारपुर	1911000	3822000	5733000	1719800	3822000	5541900	143325	286650	429975	34300	70000	104300	400	1800	2000	3808925	8002250	30000	8032250	11841175
5	संगपुर	1365000	2730000	4095000	1229500	2730000	3959500	102375	204750	307125	24500	54400	78900	400	1500	2000	2720775	5720750	16000	5736750	8457525
6	गुंर	2067000	4134000	6201000	1860300	4134000	5994300	159025	310050	469075	37100	100000	137100	400	1900	2000	4119825	8679850	30000	8709850	12823475
शीर्ष		9321000	18642000	27963000	8389900	18642000	27039900	689075	1398150	2097225	187300	382400	549700	2000	8000	10000	18578275	39072550	140000	39212550	57790825

भा0-सीन कोड विरानदे लाख बारह हजार पांच सौ पचास रुपये मात्र।

जिला पदाधिकारी, 9.15
मुंर।

प्रतिनिधि :- अमृतल पदाधिकारी, सर मुंर/गुंर/संगपुर/तारपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिनिधि :- सरकार के प्रधान सचिव, गुंर (आरसी) विभाग, विहार पटना को उनके पत्र सं0-40, दिनांक 19.08.2014 के क्रम में सूचनाएं प्रेषित।
प्रतिनिधि :- आईटी0 प्रबंधक, मुंर को सूचनाएं एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।